

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (SDO) भीण्डर, जिला-उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 438/21 (वाद)

GCMS NO: 2021/425

अनवान

श्री रामेश्वर लाल पिता भोली राम जी लौहार निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।

वादी

बनाम

श्रीमती बदामी बाई पिता भोली राम जी लौहार पत्नी स्व. श्री नाथु लाल जी लौहार निवासी खेरोदा तहसील देलवाडा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द राज।

श्रीमती सोसर बाई पिता भोली राम जी लौहार पत्नी स्व. श्री विजयराम जी लौहार निवासी खेरोदा हाल नेवारी पुराना दाल मिल के पास फतहनगर तहसील मावली जिला उदयपुर राज।

श्री प्रकाश लौहार पिता स्व. श्री हरिराम जी लौहार निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।

श्री गोपाल लौहार पिता स्व. श्री हरिराम जी लौहार निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।

श्रीमती सजनी बाई पिता स्व. श्री हरिराम जी लौहार पत्नी छगनलाल लौहार निवासी खेरोदा हाल निवासी कुण्डई तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।

श्रीमती देऊबाई पत्नी हरिराम जी लौहार निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।

श्री राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार भीण्डर जिला उदयपुर राज।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

देवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28.10.2025 को श्री रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S. सहायक कलेक्टर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की निम्न आराजियात 1 बंटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र.सं.	खातेदार का नाम	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	रामेश्वरलाल पुत्र भोलीराम लौहार सा. देह खातेदार	2312 2313 मी.	0.02 0.68	पुर्व अनुसार	- 3.40
	योग	किता 2	0.70	-	3.40
2.	1. औकारलाल पुत्र गोपाल लाल लौहार 1/20	2313/1 3864	0.05 0.09	पुर्व अनुसार	0.25 0.81
	2. गणेशी बाई पत्नी गोपाल लाल लौहार 1/20	3868 3872	0.03 0.09		0.27 3.15
	3. नरेश पुत्री गोपाललाल लौहार 1/20	3873	0.14		4.90
	4. रेखा पुत्री गोपाललाल लौहार 1/20	3911	0.15		3.90
	5. प्रकाश पुत्र हरिराम 1/5	6155/3875	0.15		5.25
	6. सजनी पुत्री हरिराम 1/5				
	7. देऊबाई पत्नी हरिराम 1/5				
	8. बदामबाई पुत्री भोलीराम 1/15				
	9. सोसर बाई पुत्री भोलीराम 2/15 लौहार सा. देह खातेदार				
	योग	किता 7	0.70	-	18.53

नोट- उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।